सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 13, सोमवार, *शाके* 1945-सितम्बर 04, 2023

Bhadra 13, Monday , Saka 1945- September 04, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2023

संख्या एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/24188 :-चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में **"घरों में नियोजित श्रमिक"(Domestic worker)**के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में)
1	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
2	कपडे धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
3	कपडे धोना-बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
4	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
5	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
6	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	**8034.00**

टिप्पणियां-

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं। तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी ।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
धर्मपालसिंह,
अति0 श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।